न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 48 / 2021

रामेश्वर उम्र 80 वर्ष पुत्र खेताराम जाति माली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।

आवेदक

बनाम

1. भागीरथ पुत्र मालाराम जाति माली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
2. रतनलाल पुत्र मालाराम जाति माली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
3. विश्वनाथ पुत्र मालाराम जाति माली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
4. सुरेश कुमार पुत्र बल्लूराम जाति माली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
5. आचूकी देवी बेवा ओंकार जाति माली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
6. लच्छूराम पुत्र ओंकार जाति माली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
7. बाबूलाल पुत्र ओंकार जाति माली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
8. सुरेश कुमार पुत्र रामनिवास जाति माली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
9. पूर्णमल पुत्र बालाराम जाति माली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
10. छोटूराम पुत्र बालाराम जाति माली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

वकील प्रार्थीगण – श्री सुशील कुमार जोशी
वकील अप्रार्थीण – आबिद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 20.09.2022

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व 5 लगायत 10 एक ही कुणबे के व्यक्ति है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 5 लगायत 10 का बुजुर्ग स्व. श्री भानाराम हुआ जिनका देहान्त काफी अरसा पूर्व हो चुका है। भानाराम के तीन पुत्र संतान स्व. मालाराम, स्व. खेताराम व स्व. बालाराम हुय जिनका देहान्त हो चुका है। वाके ग्राम मलसीसर पटवार हल्का मलसीसर की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 443 रकबा 17 बीधा 2 बिश्वा पुख्ता, खसरा नम्बर 436 रकबा 11 बीधा 15 बिश्वा पुख्ता एवं खसरा नम्बर 440 रकबा 5 बीधा 10 बिस्वा पुख्ता कुल किता 3 कुल रकबा 34 बीधा 7 बिश्वा पुख्ता भूमि वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 3 व 5 लगायत 10 के बुजुर्ग भानाराम के समय से उनके खातेदारी कब्जे काश्त

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

में चली आ रही है। भानाराम के देहान्त होने के पश्चात उसके तीनों पुत्रों ने भूमि का आपस में बंटवारा कर लिया। बंटवारा में मालाराम के हिस्से में 11 बीधा 15 बिश्वा पुख्ता जो मलसीसर से बिसाऊ जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है तथा खेताराम के हिस्से में ख0न0 443/4 रकबा 11 बीधा 9 बिश्वा पुख्ता भूमि सम्पूर्ण भूमि में सबसे पीछे की भूमि दी गई। इस कारण उनके हिस्से की भूमि में जाने के लिये रास्ता आगे की भूमि मालाराम के हिस्से की भूमि जिस परवर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 काबिज काश्त है, में से होकर रास्ता रखा उसी रास्ते से वादी अपने काश्त की भूमि में आता जाता रहा है। भानाराम के तीसरे पुत्र बालाराम के हिस्से में कुल 11 बीधा 3 बिश्वा पुख्ता भूमि आई। उपरोक्त वर्णित बंटवारे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 के हिस्से में आई काश्त की भूमि जाने के लिये मालाराम के हिस्से की भूमि की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की तरफ रास्ता रखा गया। प्रतिवादी संख्या 4 भी भी अपने खेत में जाने हेतु इसी रास्ते को काम में लेता आ रहा है। इस व्यवस्था से वादी व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 उपरोक्त रास्ते से हमेशा आते जाते रहे है। बंटवारे के समय सभी पक्षों के मध्य यह सहमती हुई थी कि सड़क पर जिस व्यक्ति के हिस्से में भूमि आयेगी वह शेष खातेदारान के हिस्से की पीछे की भूमि में जाने के लिये रास्ता देगा और इसी सहमती पर विवादीत रास्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के लिये उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रास्ता बलपूर्वक बंद कर दिया। अन्त में वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को जमीन जैर बहस में आने–जाने के लिये नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु क से ध, ख से ग 15 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले उचित प्रतिफल वादी प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को चुकाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 5 लगायत 10 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6क के तहत EXPARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 5 लगायत 10 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 स्वयं उपस्थित परन्तु जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया गया कि वादी ने भानाराम के तमाम वारीसान का सजरा पेश नहीं किया है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में मनगंढ़त तथ्यों के आधार पर दावा दिया है जो काबिले खारिज योग्य है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थी का खेत मलसीसर से बड़वा की ढ़ाणी जाने वाले रास्ते से 36 मीटर की दूरी पर स्थित है जो कि तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः वादपत्र झुठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत होने से खारीज फरमाया जावे।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी की पैतृक भूमि के विभाजन के दौरान रास्ते का प्रावधान नहीं रखने पर 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के दर्ज तथ्यों को ही बहस मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 1638 दिनांक 20.09.2021 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में नवीन रास्ता कायम करने हेतु रिपोर्ट पेश कि है जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र/वाद पत्र में अपनी पैतृक भूमि के विभाजन के दौरान रास्ते का प्रावधान नहीं किये जाने पर पैतृक भूमि के विभाजन के प्रावधानुसार रास्ता कायम करने का निवेदन किया है। इस प्रकार प्रार्थी/वादी द्वारा नवीन रास्ता नहीं चाहकर अपनी पैतृक भूमि से अपनी भूमि तक रास्ता चाहा गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौक़ा रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा अपनी पैतृक भूमि के विभाजन के दौरान रास्ते का प्रावधान नहीं रखने से उत्पन्न समस्या से व्यथित होकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र/वाद पत्र पेश किया है। प्रश्नगत प्रकरण 251क के प्रावधानों से थोड़ा अलग है। प्रशनगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उभर कर आया है कि क्या पैतृक भूमि के विभाजन के दौरान रास्ते का प्रावधान नहीं रखे जाने पर खातेदार द्वारा रास्ता चाहने पर पैतृक भूमि से रास्ता दिया जावे या 251क के प्रावधानों के अन्तर्गत लधुतम रास्ता दिया जावे। इस बिन्दु पर विचारण

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

करते समय इस बिन्दु पर भी ध्यान लाया जाना न्यायसंगत है कि पैतृक भूमि के विभाजन के दौरान रास्ते का प्रावधान तो रखा जाता है परन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम नहीं किया जाता जिससे समयउपरान्त आपस में विवाद पैदा होता है। तमाम तथ्यों के विवेचन से न्यायालय की राय में जहां पैतृक भूमि में विभाजन के दौरान रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाता है वहां पैतृक भूमि के किसी खातेदार द्वारा रास्ता चाहे जाने पर पैतृक भूमि से ही रास्ता दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रास्ता चाहे जाने वाले किसी खातेदार द्वारा पैतृक भूमि साबित करनी होगी भूमि बेचान होने पर वह पैतृक भूमि नहीं मानी जावेगी। रास्ते में ज़ाने वाली भूमि के बदले उचित प्रतिफल खातेदार/प्रार्थी/वादी को धारा 251क के प्रावधानों के तहत चुकानी होगी। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/वादी को खेत खसरा नम्बर 443/4 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 436/1, 891, 443/3 में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो नजरी नक्शे में क, ख, ग, ध बिन्दु से दर्शाया गया है, को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 20/9/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

साधुराम जाट
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर